रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245471
CG-DL-E-27042023-245471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1841] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2023/वैशाख 6, 1945
No. 1841] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2023/VAISAKHA 6, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आई० पी० एच० डब्ल्यू० डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2023

विषय: "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021" में संशोधन

का.आ. 1929(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2021" में निम्नलिखित संशोधन करती है:

(i) उपरोक्त आदेश के पैरा 2 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग: - निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामान,कथित अनुसूची के कॉलम (3) में दिए गए तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक (अनुरूपता मूल्यांकन) ब्यूरो विनियमावली,2018 की अनुसूची-II की योजना- II के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक लाइसेंस के तहत 'मानक' चिह्न रखेंगे बशर्ते कि इस आदेश में निर्यात के लिए निर्धारित कथित अनुसूची के कॉलम

(2) में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे माल या वस्तुओं के विनिर्माण के संबंध में लागू नहीं होगा जो विदेशी खरीदकर्ताओं द्वारा आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोधोगिकी मंत्रालय, उसके द्वारा समय-समय पर लेखबद्ध किए जाने और उसके द्वारा यथापरिलक्षित वाले कारणों से अनुसूची में वर्णित विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा उत्पादों के प्रकार या श्रेणी को इस आदेश को लागू करने से छूट दे सकेगा।

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2021 की अनुसूची में क्रम संख्या 64 पर की जाए।

क्रम संख्या (1)	**उत्पाद श्रेणी (2)**	**भारतीय मानक संख्या (3)**	**भारतीय मानक का शीर्षक (4)**
64.	टेलीविजन सेट	आईएस 18112:2022	सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल टेलीविजन रिसीवर - स्पेसिफिकेशन

2 . "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2021" के प्रावधान इस अधिसूचना के द्वारा उक्त आदेश की अनुसूची में जोड़े गए कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर कॉलम (3) में निर्दिष्ट अनुसार भारतीय मानक के अनुपालन के लिए आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल की समाप्ति पर लागू होंगे।

[फा. सं. : डब्ल्यु-47/7/2023-आईपीएचडब्ल्यु-एमईआईटीवाई]

आशा नांगिया, वैज्ञानिक ' जी '

नोट : प्रधान आदेश 18 मार्च, 2021 को एसओ संख्या 1248 (ई) के माध्यम से भारत के राजपत्र,अतिविशिष्ट में प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 25.03.2021 की एस.ओ. सं 1353 (ई) और दिनांक 01.07.2021 की एस.ओ. 2844 (ई) के जरिये इसे संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2023

Subject: Amendment to the "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021"

S.O. 1929(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendments to the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021":

(i) The Para 2 of the aforesaid Order shall be read as:

Compulsory use of standard mark:-Goods or articles specified in the column (2) of the Schedule below shall conform to the corresponding Indian Standard given in the column (3) of the said Schedule and shall bear the 'Standard' Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-II of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, provided that nothing in the Order shall apply in relation to manufacture of goods or articles, as specified in the column (2) of the said Schedule for export which

conform to the specification required by the foreign buyer. Further, the Ministry of Electronics and Information Technology may exempt, the application of this order to specific article or type or range of products mentioned in the Schedule for reasons to be recorded in writing and as identified by it from time to time.

(ii) The following entry be added at S. No. 64 in the Schedule of the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021.

S. No (1)	**Goods or Articles (2)**	**Indian Standard (3)**	**Title of Indian Standard (4)**
64.	Television Sets	IS 18112:2022	Digital Television Receiver for Satellite Broadcast Transmission —Specification

2. The provisions of "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021" shall apply on the Goods or articles as specified in the column (2) added to the schedule of the said Order by virtue of this notification for conforming the corresponding Indian standard as specified in the column (3), on the expiry of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. : W-47/7/2023-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist 'G'

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E), dated the 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25.03.2021 and S.O. 2844(E). dated 01.07.2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.27 13:39:43 +05'30'